न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 229 / 2022

मोहम्मद मुकीम पुत्र अब्दुल शकूर, जाति मुसलमान, निवासी बडी मस्जिद् के पास, वार्ड नं0 13, नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 18.07.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.06.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 229/2022 पर दिनांक 24.06.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/2867–68 दिनांक 24.06.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/304 दिनांक 11.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 06.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/731 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ञ के अन्तर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत सूचना तभी दी जा सकती है जब उस सूचना से विस्तृत लोक हित हो। चाही गई सूचना मे किसी प्रकार का लोकहित समाहित नही होने से सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत करवा दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/304 दिनांक 11.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 06.05.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/22/731 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)ञ के अन्तर्गत प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित व्यक्तिगत सूचना तभी दी जा सकती है जब उस सूचना से विस्तृत लोक हित हो। चाही गई सूचना मे किसी प्रकार का लोकहित समाहित नही होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकती है। आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत करवा दिया गया। परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना दी जा सकती थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, निर्वाचन) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 18.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:17 IST
Reason: SelfAttested